



आपदा बेरोजगारी सहायता -DUA
रोजगार / स्व-रोजगार तथा टैक्स रिटर्न अनुरोध नोटिस का
DUA प्रमाण

प्रेषण तारीख:

आपदा सं.

दावेदार की ID:

जब आपने आपदा बेरोजगारी सहायता (डीयूए) के लिए अपना प्रारंभिक आवेदन दायर किया था तो आपको सूचित किया गया था कि आपके दावे को संसाधित करने के लिए आपदा के समय रोजगार / स्व-रोजगार का प्रमाण, और आपके फेडरल टैक्स रिटर्न की एक प्रति आवश्यक है। आपकी प्रारंभिक मौद्रिक पात्रता न्यूनतम DUA साप्ताहिक लाभ राशि पर आधारित थी। कर वर्ष के लिए आपकी संघीय कर रिटर्न की एक प्रति 21 दिनों के भीतर प्रदान करने के लिए पात्रता के निर्धारण की एक DUA सूचना आपको सूचित कर दी गई थी। पात्रता के निर्धारण की आपकी प्रारंभिक DUA सूचना दिनांक को जारी की गई थी। रोजगार / स्व-रोजगार और आपके संघीय कर रिटर्न के आपके प्रमाण दिनांक तक प्राप्य थे।

इस नोटिस के जारी होने की तिथि तक, आपके रोजगार / स्व-रोजगार और आपके फेडरल टैक्स रिटर्न का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है। DUA नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो इस दस्तावेज़ को प्रस्तुत करने में विफल रहता है, वह DUA के अयोग्य घोषित हो जाएगा।

आप के पास अपना आपदा के समय रोजगार / स्व-रोजगार का प्रमाण और संघीय कर रिटर्न की एक प्रति भेजने के लिए इस नोटिस के जारी होने की तारीख से दस (10) दिनों का समय है। आप इनकी एक प्रतिलिपि 919.715.8423 पर फ़ैक्स कर सकते हैं या नीचे दिए गए पते पर डाक से भेज सकते हैं।

यदि आप माँगी गयी सूचना प्रदान नहीं करते हैं, तो पहले जारी हो चुके DUA भुगतान के लिए आपको अयोग्य ठहराते और एक अतिदेय भुगतान निर्धारित करते हुए एक निर्धारण जारी किया जाएगा। यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है, तो कृपया 1, 87 772726655 पर डीयूए हॉटलाइन को कॉल करें।

कृपया भरा हुआ फ़ॉर्म des.nc.gov पर अपने दावेदार स्वयं सेवा पोर्टल पर अपलोड करें या

निम्नलिखित पते पर डाक से भेजें
या फ़ैक्स करें:

Post Office Box 25903
Raleigh, NC 27611-5903
Fax Number 919.715.8423

UI धोखाधड़ी को रोकने में हमारी

सहायता करें!

माँगी गई जानकारी के बारे में अनुरोधों का
सही और समय पर जवाब देकर